



कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म०प्र०)

Indira Gandhi Engineering College Sagar (M.P.)

(Declared Autonomous by Government of M.P.)

Jabalpur Road, Baheria, Distt.- Sagar, Madhya Pradesh-470004

Phone: 07582-263896, Fax: 07582-263850, 263826

Email: dr.principalgec@rediffmail.com, - Website: www.igecsagar.ac.in

क्र० / इम. / छा.वृ. / 2018-19 / 211 /

सागर, दिनांक :- 15/10/2018

// आवास सहायता योजना संबंधी सूचना //

संस्था में अध्ययनरत एस.सी./एस.टी वर्ग के छात्र/छात्राएँ जो आवास सहायता योजना के अन्तर्गत मकान भाड़ा भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वे mpscholarship portal के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करें एवं हार्ड कॉपी प्रिंट करके निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संस्था के छात्रवृत्ति शाखा / नोडल सेंटर में आवश्यक रूप से जमा करावे। आवेदन पत्र जमा न करने पर आवास सहायता योजना का लाभ न मिलने की जबाबदारी संबंधित छात्र/छात्रा की होगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज की सत्यापित छाया प्रति जमा करें :-

1. आवास मालिक का किरायानामा (प्रोफार्मानुसार) (रु.50 के स्टाम्प पर)।
2. सागर में आवास न होने का पिता के नाम से नोटरी द्वारा शपथ पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र एवं मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. एडमीशन स्लिप की छायाप्रति
6. पूर्व समस्त वर्षों की पास की अंकसूची की छायाप्रति।
7. बैंक पास बुक (आई.एफ.एस.सी कोड सहित) की सत्यापित छायाप्रति।
8. छात्र/छात्रा का आधार कार्ड की छाया प्रति।
9. पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें नाम एवं दिनांक अंकित हो एवं तीन माह से अधिक पुरानी न हो।
10. मकान किराया की रसीद एवं मकान मालिक का मोबाईल नं. और पत्राचार हेतु स्पष्ट लिखा हुआ पता।
11. मकान के सामने स्वयं का मकान मालिक के साथ खीचा गया नवीन फोटोग्राफ साफ्ट एवं हार्डकापी में।
12. मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षरित मकान मालिक का आधार कार्ड, समग्र आई डी एवं फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।

13. आवास नवीनीकरण की ओलैम किछ 15/11/2018 निर्धारित है

नोट :-

1. यदि संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त रहता है तो प्रथम दृष्टया उनका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन प्रक्रिया में निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये छात्र/छात्राएँ पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्र/छात्राएँ अपना मोबाईल नं. एवं ई-मेल आईडी अवश्य लिखें ताकि छात्रवृत्ति फार्म में कोई कमी या त्रुटि होने पर आपको सूचित किया जा सके।
2. समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्र योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देते पाये जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी समस्त जबाबदारी स्वयं की होगी।
3. किसी भी छात्र को एक पाठक्रम के लिए कोई एक छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अतः ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

पृ. क्र० / इम. / छा.वृ. / 2018-19 / 42 /
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी, वेबसाइट, इं. गां. इंजी. कालेज सागर।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रचार्य,
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर म०प्र०
सागर, दिनांक :- 15/10/2018

H. Mishra
16/10/18

PRINCIPAL
S. ENG. Collge Sagar
SAGAR (M. P.)